न्यायालय चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर म.प्र.
(समक्षः— राकेश कुमार गोयल)

सी0एन0आर0 क0—एमपी09010—56661—2022
जमानत आवेदन पत्र कमांक 5772/2022
फाईलिंग क्र.—बी.ए./46398/2022

डॉ. इनामुर्रहमान पुत्र श्री मुनीर खान,
आयु—63 वर्ष, निवासी—सी.एच.डी. 673,
सुखलिया, इन्दौर म.प्र.

——आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

म.प्र. राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र भंवरकुआ,
इंदौर म.प्र. ——अनावेदक/अभियोजन

तथा

सी0एन0आर0 क0—एमपी09010—56870—2022
जमानत आवेदन पत्र कमांक 5787/2022
फाईलिंग क्र.—बी.ए./46599/2022

मिर्जा मोजिज बेग पुत्र मिर्जा अब्दुल राउफ,
आयु—41 वर्ष, निवासी— नवीन विधि कालेज,
भंवरकुआ, इन्दौर म.प्र.

——आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

म.प्र. राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र भंवरकुआ,
इंदौर म.प्र. ——अनावेदक/अभियोजन

———————————————————————————————

पुनश्चः—06.12.2022 माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, इंदौर के आदेशानुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन मय केस डायरी व प्रतिवेदन अंतरण पर प्राप्त।

उक्त दोनों जमानत आवेदन पत्र थाना भंवरकुआ के एक ही अपराध कमांक 1214/2022 से संबंधित होने के कारण उक्त दोनों दोनों जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा श्री अभिनव पी. धनोदकर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा ए.जी.पी. एवं श्री अभिजीत सिंह राठौर ए.जी.पी. उपस्थित।

प्रकरण आज आवेदकगण/आरोपीगण के प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र विचारार्थ नियत है।

फरियादी/शिकायतकर्ता लक्की की ओर से श्री गोविंद सिंह अधिवक्ता ने तथा हिन्दू जागरण मंच की ओर से अधिवक्ता श्री रवि जैन ने उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की।

आरोपीगण के जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से धारा 438 दं.प्र.सं. के तहत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र होने के संबंध में आवेदकगण का स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि फरियादी लक्की आदिवाल जो कि उक्त विधि कालेज का एल.एल.एम. सेकेण्ड सेमेस्टर का छात्र है जिसके द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त किताबें आरोपी इनामुर रहमान के कार्यकाल में नहीं खरीदी गई है बल्कि उक्त किताबें वर्ष 2014 में क्रय की गई है। वह दिनांक 29.08.2019 को उक्त कॉलेज का प्रिंसीपल नियुक्त हुआ है। उसके द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु एक स्वतंत्र समिति का गठन किया गया है। वह 63 वर्षीय वृद्ध है। उसके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक मिर्जा मोजिज बेग उक्त कालेज में प्रोफेशर के पद पर कार्यरत हैं उनके द्वारा उक्त बुक नहीं लिखी गई और न ही प्रकाशित की गई है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

अनावेदक/राज्य की ओर से ए.जी.पी. श्री संजय शर्मा द्वारा एवं आपत्तिकर्ता लक्की की ओर से अधिवक्ता श्री गोविंद सिंह राजपूत एवं अधिवक्ता श्री रवि जैन ने आवेदन पत्र का विरोध करते हुए आरोपीगण का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

केस डायरी के अनुसार फरियादी लक्की द्वारा शासकीय विधि महाविद्यालय इन्दौर में मुस्लिम शिक्षकों द्वारा जानबूझकर डॉ. फरहत खान द्वारा लिखी पुस्तक सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धत्ति जिसमें लेखक द्वारा जानबूझकर असत्य एवं बिना किसी साक्ष्य के आधार पर हिन्दू धर्म के विरूद्ध नितांत झूठी टिप्पणियां की गई हैं को छात्रों को रेफर कर राजद्रोह एवं धार्मिक भावनाओं को भड़काने संबंधी आपराधिक कृत्य करने के संबंध में दी गई लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस थाना भंवरकुआ द्वारा आरोपीगण व अन्य के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 153–ए, 153–बी, 295–ए, 500, 504, 505, 505–2/34 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 1214/2022 की कायमी की गई है।

अनुसंधान के दौरान फरियादी लक्की से उक्त पुस्तक जप्त की गई है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त पुस्तकें वर्ष 2014 में क्रय की गई है। केस डायरी में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा इस संबंध में अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इन्दौर को समिति का गठन कर जांच प्रतिवेदन देने हेतु भी निर्देशित किया गया है। इसी तरह आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्राचार्य

इनामुर रहमान द्वारा इस संबंध में कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.12.2022 को 06 प्राध्यापकों को पांच दिवस के लिए कार्यमुक्त करते हुए इस संबंध में आयुक्त महोदय उच्च शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा गया है तथा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भी जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा लाईब्रेरी प्रबंधक को उक्त पुस्तक की सभी प्रतियों को महाविद्यालय की लाईब्रेरी से हटाकर सुरक्षित रखने हेतु पत्र लिखा गया है तथा दबाव बनाकर उसकी इच्छा के विरूद्ध प्राचार्य पद से इस्तीफा ले लेने संबंधी पत्र भी थाना प्रभारी, थाना भंवरकुआ को लिखा गया है।

आवेदक इनामुर्रहमान द्वारा समिति के समक्ष दिये गये प्रतिवेदन की प्रति के अनुसार उनके द्वारा यह जवाब दिया गया कि उन्हें उक्त पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त पुस्तक के कंटेट्स एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ाये जाकर उसे दिनांक 01.12.2022 के पूर्व किसी भी छात्र ने इस संबंध में लिखित या मौखिक रूप से कोई शिकायत नहीं की है। उक्त शिकायत असत्य आधारों पर की गई है। केस डायरी के अनुसार अभी तक किसी भी समिति की कोई जांच रिपोर्ट नहीं आयी है।

फरियादी की ओर से प्रस्तुत लिखित आपत्ति में यह उल्लेखित किया है कि आवेदकगण को जमानत का लाभ दिये जाने पर वे अनुसंधान को प्रभावित करेंगे तथा अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ेगा तथा साथ ही साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा होगी। उक्त लिखित शिकायत के साथ फरियादी लक्की आदिवाल द्वारा अपना स्वयं का एवं उक्त कॉलेज में अध्ययनरत अन्य विद्यार्थी केदार कुमावत, कुशल पाटीदार, गोविंद सिंह एवं हर्षित जुलानिया का संयुक्त शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें यह भी उल्लेखित किया है कि कालेज की फैकल्टी द्वारा भारतीय सेना पर भी टिप्पणी करते हुए उक्त आवेदकगण द्वारा व्याख्यान के दौरान उक्त पुस्तक का रेफरेंस देना और विरोध करने पर जीवन बर्बाद करने की धमकी देना उल्लेखित किया है।

फरियादी के लिखित आवेदन पर से आवेदकगण के विरूद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई हैं। यद्यपि उक्त अपराधों में सात वर्ष से अधिक तक की सजा के प्रावधान नहीं है परंतु केस डायरी में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार आवेकगण द्वारा उच्च शासकीय पदों पर पदस्थ रहते हुए उक्त पुस्तक के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने संबंधी कार्य किया है। उक्त पुस्तक का लेखक डॉ. फरहत खान अभी भी फरार है जिसका तलाशी पंचनामा भी प्रकरण में संलग्न है। प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है। आरोपीगण से पूछताछ किया जाना भी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाता है तो निश्चित ही उक्त अनुसंधान के प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में जो न्याय दृष्टांत मोहम्मद जुबेर विरूद्ध दिल्ली राज्य 2022 एस.सी.सी. 897 एवं पत्रिकिया हकिम विरूद्ध मेघालय राज्य से संबंधित क्रिमिनल अपील नंबर

141/2021 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 प्रस्तुत की है जो जमानत से संबंधित नहीं है तथा अन्य न्याय दृष्टांत म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के एम. सी.आर.सी. क्रमांक 44569/2022 हेमंत विरूद्ध म.प्र. राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022, एम.सी.आर.सी. क्रमांक 13704/2014 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2014 खण्डपीठ ग्वालियर के एम.सी.आर.सी. क्रमांक 860/2019 कुमारी जिज्ञासा शर्मा विरूद्ध म.प्र. राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.01. 2019 एवं खण्डपीठ इन्दौर की एम.सी.आर.सी. क्रमांक 11009/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2021 की प्रति प्रस्तुत की है जिनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया है परंतु मौजूदा प्रकरण की परिस्थितियां भिन्न हैं। क्योंकि मौजूदा प्रकरण में आवेदकगण द्वारा शासकीय लॉ कालेज में एक ऐसी पुस्तक जिसमें लेखक द्वारा जानबूझकर असत्य एवं बिना किसी साक्ष्य के आधार पर हिन्दू धर्म के विरूद्ध नितांत झूठी टिप्पणियां की गई हैं को विधि छात्रों को रेफर किया जा रहा है जिसे देखते हुए उक्त न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर भी आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदकगण इनामर्रहमान एवं मिर्जा मोजिज बेग की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. बाद विचार **निरस्त** किये जाते हैं।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने में वापस की जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर जमानत प्रपत्र अभिलेखागार भेजा जाये।

(**राकेश कुमार गोयल**)
चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)

RAKESH GOYAL
Digitally signed by RAKESH GOYAL
Date: 2022.12.06 17:40:54 +0530